आवश्यक/बैठक/समयबद्ध

संख्या: 33/2019/2726/12-2-2019-एस.85/2008

प्रेषक,

जी0 एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुधन/दुग्ध विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, **2019**

विषय: राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, **2019** तथा लखनऊ मण्डल की रबी गोष्ठी के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 23 सितम्बर, **2019** को पूर्वान्ह 10:00 बजे कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कृषि निदेशालय, लखनऊ स्थित प्रेक्षागृह में राज्य स्तरीय रबी उत्पाकता गोष्ठी, **2019** का आयोजन किया गया है जिसमें मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया जायेगा।

2. उक्त राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी के साथ-साथ दिनांक 23 सितम्बर, **2019** को लखनऊ मण्डल की मण्डलीय रबी गोष्ठी भी आयोजित की जायेगी।

3. अत: अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित गोष्ठियों में समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी0 एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 33/2019/2726(**1**)**/12-2-2019**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ कानपुर/ मोदीपुरम, मेरठ/सैमहिग्गनबॉटम इन्स्टीटयूट ऑफ एग्रीकल्चर टैक्नालॉजी एण्ड साईंसेज, प्रयागराज तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग/गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
6. निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज/सूचना विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान, वाराणसी/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट एग्रो/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
11. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
12. सामान्य प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन, लखनऊ।
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ।
14. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त गोष्ठी के आयोजन के सम्बन्ध में समस्त अपेक्षित कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराते हुए गोष्ठी में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
15. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
16. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
17. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in